

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक : एफ 3(5)2023-24 / अ.अ. / प्रमुवसं-07344 /

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम 1971 में उपलब्ध शर्तों सहित कार्मिक (क-3/जांच) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9 (5)/30/कार्मिक क-3/जांच/2004, जयपुर दिनांक 18.11.2006 के अनुसंरण में निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष 2023-24 परीक्षाओं में अध्ययन (स्वयंपाठी छात्र के रूप में) अध्ययन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री / श्रीमती / सुश्री)	कार्यालय का नाम	विश्व विद्यालय / बोर्ड का नाम	परीक्षा का नाम
1	राम किशोर मेघवाल, वनरक्षक	उप वन संरक्षक, नागौर	एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर	एम.ए. फाईनल
2	घनश्याम, वनरक्षक			एम.ए. प्रीवियस
3	शैतान सिंह राजपूत, वरिष्ठ सहायक	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	मोहन लाल सुखाडिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	एम.ए. प्रीवियस
4	रणजीत सिंह रावणा, कनिष्ठ सहायक			बी. ए. पार्ट-1A

- शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
- राज सेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होगा।
- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में यह स्वीकृति/अनुमति बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है।

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, जयपुर

फोन नं. 0141-2713810 Email: defnz.estt.forest@rajasthan.govवेब साईट www.forest.rajasthan.gov

Digitally signed by Mohan Kumar Garg

Designation: Principal Chief

Conservator of Forests

Date: 2024.03.18 09:37 IST

Reason: Approved

11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(5)2023-24/अ.अ./प्रमुखसं-07344/ 8253-58
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 19/03/24

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/उदयपुर।
2. उप वन संरक्षक, नागौर/चित्तौड़गढ़।
3. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय का पता- कमरा नं. ए-402 अरण्य भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर-302004

फोन नं. 0141-2713810 Email id: estt.forest@rajasthan.gov

वेब साइट www.forest.rajasthan.gov

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation: Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2024.03.19 10:09:37 IST
Reason: Approved